समाहरणालय, अररिया

(जिला योजना कार्यालय)

अल्पकालीन निविदा आमंत्रण -सूचना

वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत माननीय स0वि0स0, सिकटी द्वारा अपने विधानसभा क्षेत्राधीन मध्य / उच्च / इंटर विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में पुस्तकों को क्रय कर आपूर्त्ति करने हेतु अनुशंसा की गयी है, तदालोक में पुस्तक क्रय करने हेतु प्रतिष्ठित प्रकाशको / वितरकों / विक्रेताओं से मुहरबंद निविदा आमंत्रित की जाती है। वित्तीय / तकनीकी अलग-अलग मुहरबंद लिफाफे में दिनांक ...06/5/15........ को 02 ...... बजे अपराह्न तक जिला योजना कार्यालय, अररिया में रजिस्टर्ड डाक / कोरियर / या स्वयं अथवा प्रतिनिधि के माध्यम से दाखिल कर सकते है। उसी दिन जिला क्रय समिति के समक्ष निविदा अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय प्रकोष्ट में अपराह्न 03...... बजे खोली जायेगी जिसमे निविदादाता या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि भाग ले सकते है।

जिला शिक्षा पदाधिकारी, अररिया की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक से अनुमोदित पुस्तको की सूची कार्यालय अवधि में अपने निजी खर्च पर छाया प्रति प्राप्त कर सकते है। अथवा अररिया जिला के वेबसाइड **araria.bih.nic.in** पर भी देख सकते है।

निविदा की शर्ते :-

1. क्रय की जानेवाली पुस्तको के टाईटिल पृष्ठ एवं मूल्य में किसी प्रकार का परिवर्त्तन /संशोधन मान्य नही होगा।
2. बाल साहित्य के अतिरिक्त अन्य पुस्तके 60 पृष्ठ से कम रहने पर मान्य नही होगा।
3. क्षतिग्रस्त अथवा न्यूजप्रिन्ट पर छपी पुस्तके स्वीकार नहीं की जाएगी।
4. प्रत्येक पुस्तक अधिमानत आई0एस0बी0एन0 संख्या के साथ ही स्वीकार की जाएगी।
5. नमूने के रूप में प्रस्तुत पुस्तके रेल पार्सल से स्वीकार नहीं की जाएगी।
6. नमूने के रूप में प्रस्तुत पुस्तको का निम्नांकित सूचनाएँ निश्चित रूप से अंकित की जाएगी।

क्रमांक	पुस्तक का नाम	लेखक का नाम	प्रकाशक का नाम एवं पुरा पता	विषय	प्रकाशन वर्ष	पृष्ठ संख्या	सजिल्द/अजिल्द एवं मूल्य मुद्रित

7. तीन वर्षो का आयकर, बिक्रीकर का अद्यतन प्रमाण-पत्र, रिर्टन एवं पैन नम्बर की छायाप्रति संलग्न करना होगा।
8. निविदा के साथ 25,000-00 (पचीस हजार) रूपये का बैंक ड्राफ्ट (जमानत की राशि) अनिवार्य रूप से जमा करनी होगी जो जिला योजना पदाधिकारी अररिया के पदनाम से होगा।
9. निविदादाता को काली सूची मे दर्ज नहीं होने का नोटरी द्वारा सत्यापित अद्यतन शपथ-पत्र देना होगा।
10. आपूर्तिकर्त्ता को संबंधित प्रकाशक के द्वारा प्रकाशित पुस्तकों की आपूर्ति का प्राधिकार पत्र जमा करना पड़ेगा।
11. विगत वर्षो से सरकारी / गैर सरकारी संस्थानों में पुस्तक आपूर्ति करने वाले निविदादाताओं को प्राथमिकता दी जायेगी।
12. गुणवत्ता के लिए आई0एस0ओ0का प्रमाण-पत्र प्राप्त निविदादाता को प्राथमिकता दी जायगी।
13. निविदादाताओं को पिछले तीन वर्षो में औसतन टर्नओभर 50 (पचास लाख) या अधिक होना आवश्यक होगा।

(ख) वित्तीय निविदा की शर्तें :-

1. वित्तीय निविदा के लिफाफे में निविदादाता आपूर्ति की जानेवाली सभी पुस्तकों कर छुट की दर प्रतिशत में अंकित करेंगे।

समाहरणालय, अररिया

(जिला योजना कार्यालय)

अल्पकालीन निविदा आमंत्रण -सूचना

वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत माननीय स0वि0स0, सिकटी द्वारा अपने विधानसभा क्षेत्राधीन मध्य / उच्च / इंटर विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में पुस्तकों को क्रय कर आपूर्त्ति करने हेतु अनुशंसा की गयी है, तदालोक में पुस्तक क्रय करने हेतु प्रतिष्ठित प्रकाशको / वितरकों / विक्रेताओं से मुहरबंद निविदा आमंत्रित की जाती है। वित्तीय / तकनीकी अलग-अलग मुहरबंद लिफाफे में दिनांक ..06/5/15....... को 02..... बजे अपराहन तक जिला योजना कार्यालय, अररिया में रजिस्टर्ड डाक / कोरियर / या स्वयं अथवा प्रतिनिधि के माध्यम से दाखिल कर सकते है। उसी दिन जिला क्रय समिति के समक्ष निविदा अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय प्रकोष्ट में अपराहन 03...... बजे खोली जायेगी जिसमे निविदादाता या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि भाग ले सकते है।

जिला शिक्षा पदाधिकारी, अररिया की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक से अनुमोदित पुस्तको की सूची कार्यालय अवधि में अपने निजी खर्च पर छाया प्रति प्राप्त कर सकते है। अथवा अररिया जिला के बेवसाइड **araria.bih.nic.in** पर भी देख सकते है।

निविदा की शर्ते :-

1. क्रय की जानेवाली पुस्तको के टाईटिल पृष्ठ एवं मूल्य में किसी प्रकार का परिवर्त्तन /संशोधन मान्य नही होगा।
2. बाल साहित्य के अतिरिक्त अन्य पुस्तके 60 पृष्ठ से कम रहने पर मान्य नही होगा।
3. क्षतिग्रस्त अथवा न्यूजप्रिन्ट पर छपी पुस्तके स्वीकार नहीं की जाएगी।
4. प्रत्येक पुस्तक अधिमानत आई0एस0बी0एन0 संस्था के साथ ही स्वीकार की जाएगी।
5. नमूने के रूप में प्रस्तुत पुस्तके रेल पार्सल से स्वीकार नहीं की जाएगी।
6. नमूने के रूप में प्रस्तुत पुस्तको का निम्नांकित सूचनाएँ निश्चित रूप से अंकित की जाएगी।

क्रमांक	पुस्तक का नाम	लेखक का नाम	प्रकाशक का नाम एवं पुरा पता	विषय	प्रकाशन वर्ष	पृष्ठ संख्या	साजिल्द/अजिल्द एवं मूल्य मुर्द्रित

7. तीन वर्षो का आयकर, बिक्रीकर का अद्यतन प्रमाण-पत्र, रिर्टन एवं पैन नम्बर की छायाप्रति संलग्न करना होगा।
8. निविदा के साथ 25,000-00 (पचीस हजार) रूपये का बैंक ड्राफ्ट (जमानत की राशि) अनिवार्य रूप से जमा करनी होगी जो जिला योजना पदाधिकारी अररिया के पदनाम से होगा।
9. निविदादाता को काली सूची मे दर्ज नहीं होने का नोटरी द्वारा सत्यापित अद्यतन शपथ-पत्र देना होगा।
10. आपूर्तिकर्त्ता को संबंधित प्रकाशक के द्वारा प्रकाशित पुस्तकों की आपूर्ति का प्राधिकार पत्र जमा करना पड़ेगा।
11. विगत वर्षो से सरकारी / गैर सरकारी संस्थानों में पुस्तक आपूर्ति करने वाले निविदादाताओं को प्राथमिकता दी जायेगी।
12. गुणवत्ता के लिए आई0एस0ओ0का प्रमाण-पत्र प्राप्त निविदादाता को प्राथमिकता दी जायगी।
13. निविदादाताओं को पिछले तीन वर्षो में औसतन टर्नओभर 50 (पचास लाख) या अधिक होना आवश्यक होगा।

(ख) वित्तीय निविदा की शर्ते :-

1. वित्तीय निविदा के लिफाफे में निविदादाता आपूर्ति की जानेवाली सभी पुस्तकों कर छुट की दर प्रतिशत में अंकित करेंगे।

(ग) सामान्य शर्तें :-

1. जिनकी निविदा के लिफाफे स्वीकृत की जायेगी उन्हें आपूर्त्ति आदेश मिलने पर 30 दिनों के अंदर पुस्तक आपूर्ति संबंधित शैक्षणिक संस्थानों में पहुंचाकर करनी होगी। आपूर्तिकर्त्ता को अलग से परिवहन एवं मजदूरी की राशि देय नही होगी। साथ ही ट्रांसपोर्टेशन में किसी भी प्रकार के नुकसान एवं क्षतिपूर्ति की जिम्मेवारी आपूर्तिकर्त्ता की होगी।
2. प्रत्येक पुस्तक पर मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना का मुहर लगाना अनिवार्य होगा।
3. तकनीकी निविदा में असफल निविदादाताओं की वित्तीय निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
4. किसी भी समय बिना कारण बताये निविदा को रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित होगा।
5. किसी भी तरह का विवाद होने पर न्यायिक क्षेत्र अररिया होगा।
6. स्वीकृत आपूर्तिकर्ता को विपत्रों पर नियमानुसार श्रोत पर निर्धारित कर कटौती के बाद ही विपत्र का भुगतान किया जायेगा।

18/4/15

जिला पदाधिकारी,
अररिया